पत्र सं०–6 एस०एस०(6) 32/2012– 1082 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 23 / 03 / 2018.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 45.50 लाख (₹ पैंतालीस लाख पचास हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी के वेतन भुगतान हेतु पूरक योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०–2085, दिनांक–30.07.2017 के क्रम में राज्य योजना अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के तहत नियमित रूप से पदस्थापित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के वेतन के भुगतान हेतु पूरक योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) इस योजना के तहत नियमित रूप से पदस्थापित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से विषय शीर्ष–0101.01.01 –वेतन मद में व्यवस्था की गई राशि रुपये 45.50 लाख मात्र से वेतन का भुगतान किया जायेगा।

3) इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तथा नव सृजित प्रखंडों में पशुओं के स्वास्थ्य आच्छादन की सुविधा यथा पशु चिकित्सा सेवा, बधियाकरण, टीकाकरण एवं अन्य विभागीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं e-Governance Concept को सूचारू रूप से लागू करते हुए सूचना तंत्र को सुदृढ़ीकरण, गैरयोजनात्मक योजना के तहत कार्यरत पशु चिकित्सालयों को सुदृढ़ करते हुए द्रुत पशु चिकित्सा सेवा पशुपालको के दरवाजे पर उपलब्ध कराना है ताकि पशुपालकों को सुलभ एवं सहज रूप से पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके।

4) इस पूरक योजना की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–2085, दिनांक–03.07.2017 के क्रम में दी जा रही है। इसलिए योजना लागत मूल्य के अनुसार विभागीय सचिव का प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)32/2012 के पृष्ठ–106/टि०.

E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\Govt. Order\ 20-03-2018.

23/3/18

5) वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस पूरक योजना पर होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन–उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य मांग सं०–02 उपशीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403001010101 के तहत विषय शीर्ष–0101.01.01 –वेतन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था की गई राशि से विकलनीय होगा।

6) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक पशुपालन, बिहार पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/विशेष उप निदेशक (प०वि०) फ्रोजेन सीमेंन बैंक सह बुल स्टेशन पटना होगे। निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियत्री पदाधिकारी होंगे।

7) निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के सफल कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूपेण जवाबदेह होगे। साथ ही योजना में वेतन मद में पुनर्विनियोग से व्यवस्था की गई राशि का आवंटन सभी संबंधितों को आवंटित किया जायेगा, ताकि भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी का वेतन का भुगतान किया जा सके।

8) राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है संचिका सं०– 6 एस०एस० (6) 32/2012 के पृ०–106/टि० तथा डायरी सं०–12 दिनांक–21.03.2018 .

9) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार , बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

23/3/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2012– 1082 /पटना–15,दिनांक–23/03/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा) /योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2012–1082 /पटना–15,दिनांक–23/03/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकरी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2012– 1082 /पटना–15,दिनांक–23/03/2018.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी / निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ विशेष उपनिदेशक (प०वि०) फ्रोजेन सीमेंन बैंक सह बुल स्टेशन, पटना/ सहायक निदेशक पशुपालन सूचना प्रसार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—6 एस०एस०(6) 32/2012— 1082 /पटना—15,दिनांक—23/03/2018.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय बजट शाखा/ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा / लेखा शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—6 एस०एस०(6) 32/2012— 1082 /पटना—15,दिनांक—23/03/2018.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रवध निदेशक बेल्ट्रॉन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—6 एस०एस०(6) 32/2012— 1082 /पटना—15,दिनांक—23/03/2018.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी/ विभागीय योजना शाखा—6 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—6 एस०एस०(6) 32/2012— 1082 /पटना—15,दिनांक—23/03/2018.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी०मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/18
सरकार के अपर सचिव

E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\Govt. Order\ 20-03-2018.